NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 76 /NCRES/20 Date : 29.04.2020

श्रीमान प्रधान मुख्य यॉत्रिक अभियन्ता
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– सी.डब्लू.एम. / सिथौली द्वारा कोरोना से बचाव सम्बन्धी रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन न करना।

महोदय,

NCRES के मण्डल अध्यक्ष, झांसी मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 21.4.2020 द्वारा CWM से अनुरोध किया था कि कर्मचारियों को वर्कशाप में बुलाने के पहले कोरोना से बचाव सम्बन्धी सरकार के दिशा–निर्देशो का पालन सुनिश्चित कर लिया जाय लेकिन दिशा–निर्देश का पालन न होने पर भी कर्मचारियों ने दिनांक 22.4.2020 से कार्य करना शुरू कर दिया।

इस सम्बन्ध में NCRES ने दिनांक 23.4.2020 को PCPO से बात किया था जिसपर NCRES को आश्वासन दिया गया था कि सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशो का पालन 2 दिन में हो जायेगा लेकिन अपेक्षित सुधार न होने पर NCRES के मण्डल अध्यक्ष ने अपने पत्र दिनांक 27.4.2020 द्वारा भी CWM को अवगत कराया कि कारखाने में चारो तरफ गंदगी व्याप्त है, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नही हो रहा, शौचालय वगैरह की स्थिति ठीक नही, ग्लब्स व साबुन तक उपलब्ध नही, पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नही, हाथ धोने के लिये नल की टोटी मैनुअली आपरेट होती है, इत्यादि के कारण सक्रमण फैल सकता है।

उपरोक्त के अलावा आज तक कारखाने को सेनेटाइज भी नही किया जा सका क्यो कि सेनेटाइज के लिये जिस एजेन्सी से मैटेरियल मंगाया गया उसकी गुणवत्ता जांच में सही नही पाया गया।

कारखाना प्रशासन द्वारा कोरोना से बचाव के लिये सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशो का पालन न किये जाने की सूचना ग्वालियर के समाचार पत्रो में भी प्रकाशित हुआ है और इस सम्बन्ध में NCRES के पदाधिकारी को सूचित कराना कि "इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी", उचित नही है। इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

NCRES का शुरू से प्रयास रहा है और है कि कोरोना के इस विश्वव्यापी आपदा में भी रेल का कार्य होना चाहिये, इसलिये NCRES का अनुरोध है कि सिथौली कारखाना में कोरोना से बचाव के लिये सरकार के दिशा–निर्देशो का पालन कराया जाय और यह भी अनुरोध है कि कारखाना प्रशासन द्वारा ऐसा कोई कार्य न किया जाय जिससे NCRES के कैडर और कर्मचारियों में असंतोष फैले।

कृपया उपरोक्त पर उचित कार्यवाही की जाय।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज